

है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाया जाकर उप तहसीलदार अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर का आदेश दिनांक 18.10.2021 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 212 ग्राम लीला का ढाणी थोई तहसील श्रीमाधोपुर अपास्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्त पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि गई एवं जरिये नोटिस रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 कि ओर से श्री देशबन्दू शमा अधिवक्ता उपस्थित आये। अपील पर वकूलाय उभय पक्ष कि पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्त ने बताया कि नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 18.10.2021 को उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध एवं न्याय संगत नहीं होने के कारण निरस्त होने योग्य है। नामान्तरकरण स्वीकार करते समय मौके जाँच नहीं कि भूमि खसरा नम्बर 1636 कि खातेदारी अपीलान्त व सूरजमल के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। यह कानूनी सिद्धान्त है कि जिस बाबत् न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया जाता है जिसमें अगर स्थगन आदेश न होने पर भी वाद नियोजन दिन कि स्थिति कायम रखी जाती है। उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा नामान्तरकरण बाला-बाला स्वीकार किया गया है। उप तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार करते समय अपीलान्त को कोई सूचना नहीं दि गई एवं ना ही मौके जाँच कि उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा नामान्तरकरण बाला-बाला ही स्वीकार किया गया है जो निरस्त होने योग्य है अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जावे एवं पारित आदेश नामान्तरकरण संख्या 212 ग्राम लीला की ढाणी दिनांक 18.10.2021 अपास्त किया जावे।

रेस्पोंडेन्ट ने दौराने बहस वकील रेस्पोंडेन्ट ने बताया कि उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 212 सही भरा है एवं नियमानुसार भरा गया है। नामान्तरकरण मुताबिक विक्रय पत्र के भरा गया है जो जाँच करके भरा गया है जिसमें कोई किसी प्रकार कि त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज कि जावे।

वकूलाय उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्त द्वारा नामान्तरकरण संख्या 212 ग्राम लीला की ढाणी (थोई) उपतहसील अजीतगढ़ दिनांक 18.10.2021 को चुनौति दि गई है। पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 212 कि प्रति का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि नामान्तरकरण संख्या 212 विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया है। जब तक आधार दस्तावेज जो कि एक पंजीबद्ध दस्तावेज है को सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता है तब तक उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 212 जो कि उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा तस्दीक किया गया है को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 212 पूर्णतः सही तस्दीक किया गया प्रतीत होता है। उक्त नामान्तरकरण बाबत् न्यायालय हाजा द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज कि जाती है तथा नामान्तरकरण संख्य 212 आदेश दिनांक 18.10.2021, उप तहसीलदार अजीतगढ़ का यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना